न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्यां :–56/2019

::– अनवान –::

1.औमप्रकाश पुत्र श्री श्योलाल जाति साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

2.जगदीश पुत्र श्री श्योलाल जाति साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थीगण

बनाम

1.पृथ्वीराज पुत्र पुराराम पुत्र लालूराम जाति चमार साकिन सरदारपुरा खर्था तह.सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

2.लालचन्द पुत्र श्योलाल (फौत)

2/1 कालूराम पुत्र लालचंद जाति हरिजन साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़

2/2 बीरूराम पुत्र लालचंद जाति हरिजन साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़

3.रामस्वरूप पुत्र श्योलाल (फौत)

3/1सरबती पत्नी रामस्वरूप जाति हरिजन साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़

3/2महावीर पुत्र महावीर जाति हरिजन साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़

3/3रणजीत पुत्र महावीर जाति हरिजन साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़

4.एसबीबीजे (एडीबी) बैंक नया बैंक एसबीआई सूरतगढ़

5.बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हनुमानगढ़ टाउन

6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1.श्री राजवीर भादू – अभिभाषक प्रार्थीगण

2.श्री शिशपाल शर्मा – अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

::– निर्णय –::

दिनांक :–24/07/2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बहस दिनांक 02.07.2020 को सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 9 एसपीडी–बी के प0नं0 92/390(12) के कि0नं0 8 ता 13/1.518 है0, 18 ता 20/0.759 है0 क0/अ0क0, प0नं0 91/390(13) कि0नं0 6–7/0.506 है0, 1 ता 17/1.012 है0 में 1.518 है0 कुल 3.795 है0 क0/अ0क0 भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

1 के नाम से भूमि वाके चक 9 एसपीडी-बी के प0नं0 91/390(13) कि0नं0 1/2 में 0.013 है0, 2 ता9/2.024 है0, 10/1/0.012 है0, 11/1/0.025 है0,12-13/0.506 है0 कुल 2.074 है0 (1.821 है0 कमाण्ड व 0.253 है0 अ0क0) खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण को अपने रकबा वाके चक 9 एसपीडी-बी के प0नं0 92/390(12) के कि0नं0 8 ता 13/1.518 है0, 18 ता 20/0.759 है0 क0/अ0क0, प0नं0 91/390(13) कि0नं0 6-7/0.506 है0, 1 ता 17/1.012 है0 में 1.518 है0 कुल 3.795 है0 क0/अ0क0 भूमि खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए चक 9 एसपीडी-बी के प0नं0 91/390 (13) के कि0नं0 1-10-11-20-21 में चल रही पक्की सड़क जो जाखड़ावाली से चक 9 एसपीडी-बी की तरफ चल रही है से होकर प0नं0 91/390 कि0नं0 11-12-13 में दक्षिण दिशा में आवागमन लगभग 40-45 वर्षो से किया जा रहा है। लेकिन चक 9 एसपीडी-बी के प0नं0 91/390 (13) के कि0नं0 11-12-13 में दक्षिण दिशा में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत नही है। प्रार्थीगण लम्बे समय से स्वीकृत रास्ता से होते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के रकबा में से अपने खेत मे आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वाके चक 9 एसपीडी-बी के प0नं0 91/390(13) कि0नं0 1-10-11-20-21 में जाखड़ावाली से 9 एसपीडी-बी को जाने वाली पक्की डामर सड़क चल रही है। लेकिन प0नं0 91/390(13) के कि0नं0 11-12-13 में दक्षिणी पासा में स्वीकृतशुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थीगण को अपने खातेदारी रकबा वाके चक 9 एसपीडी-बी के प0नं0 91/ 390(13) कि0नं0 1/2/0.013 है, 2 ता 9/2.04 है0, 10/1/0.012 है0, 11/1/0.025 है0, 12-13/0.506 कुल 2.074 है0 में आने-जाने में बाधा आ रही है। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि वाके चक 9 एसपीडी-बी के प0नं0 91/390(13) कि0नं0 11/0.0072 है0 (12फुट गुणा $16^{1/2}$फुट), 12-13 में $1^{1/2}$-$1^{1/2}$ बिस्वा दक्षिणी पासा में पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थीगण पूर्व में इस रास्ता से अपने खातेदारी भूमि में आते जाते रहे है, किन्तु अब अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को मना कर दिया है। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि वाके चक 9 एसपीडी-बी के प0नं0 91/390(13) कि0नं0 11/0.0072 है0 (12फुट गुणा $16^{1/2}$फुट), 12-13 में $1^{1/2}$-$1^{1/2}$ बिस्वा दक्षिणी पासा में पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत प्रदान करने के आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के नाम से प0नं0 92/390 के कि0नं0 8 ता 13, 18 ता 20 के रकबा को 93/390 के कि0नं0 1,10,11,20,21 में से चालू रास्ता लगता है व प0नं0 91/390 की पक्की सड़क से भी प्रार्थीगण जुडे हुए है इस प0नं0 91/390 कि0नं0 18 ता 25 में से यह लोग अपने रकबा को जोड़ रहे है परन्तु प0नं0 91/390 कि0न0 18 ता 25 व प0न0 92/390 के कि0नं0 1 ता 7 व 14 ता 17 के लोग प्रार्थीगण के चहेते खातेदार है जहां से प्रार्थीगण आवागमन कर रहे है एवं रकबा को काश्त कर रहे है वहां से इन लोग के पास वैकल्पिक रास्ता है, हमारे नाम के रकबा में से आज तक कभी भी रास्ता नही रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के पास प0न0 91/390 में केवल 2.074 है0 ही क0/अ0क0 रकबा है व इस रकबा में से ही रास्ता स्वीकृत हो गया तो अप्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीगण इसी पत्थर के कि0न0 18 ता 20 में आवागमन कर रहे है वही से चालू रास्ता को मंजूर करवा सकते है। प्रार्थीगण ने कि0न0 18 ता 20 के खातेदार को जमीन के बदले जमीन भी दे रखी है, किन्तु अब ये लोग चाहते है कि उनकी रास्ता के बदले में जमीन ना लगे व रास्ता भी उन्हे मिल जावे इसलिये प्रार्थीगण ने कि0न0 18 ता 20 के काश्तकार को पक्षकार भी नही बनाया है। अप्रार्थी के पास रकबा काफी कम है, लघू सीमान्त कृषक है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के प0न0 91/390 व 92/390 में चिपता रकबा है प0न0 91/390 के कि0न0 18 ता 20 में से आते जाते है तथा प0न0 92/390 के कि0न0 4 व 5 में आते जाते रहते है इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पास वैकल्पिक रास्ता हे। प्रार्थी व अप्रार्थी 2 व 3 स्वयं के पास वैकल्पिक रास्ता है तथा प्रार्थी ने जानबुझकर प0न0 91/390 के कि0न0 18 ता 20 के खातेदार व प0न0

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

92/390 के कि0न0 4-5 के खातेदार काश्तकारों को पक्षकार नही बनाया है तथा मुझ अप्रार्थी के रकबा में से आज तक कभी भी रास्ता नही चला व अप्रार्थी लघुसीमान्त काश्तकार अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा भू0अ0 निरीक्षक ठेठर से रिपोर्ट ली गई। भू0अ0 निरीक्षक ठेठर की रिपोर्ट अनुसार " चक 9 एसपीडी-बी के प0न0 91/390 पर पहुंचा। प0न0 91/390 का कि0न0 1/2/0,013, 2 ता 9/1. 518, 10/1/0.012, 11/1/0.025, 12-13/0.506 कुल 2.074 है0 क0/अ0क0 रकबा मुताबिक रिकार्ड पृथ्वीराज पुत्र पुराराम जाति चमार सा0 देह के नाम खातेदार दर्ज है। इसी प0न0 91/390 के कि0न0 6-7/0.506, 14 ता 17/1.012 की 1.518 है0 क0/अ0क0 रकबा औमप्रकाश जगदीश वगै0 के नाम खातेदार दर्ज है। प0न0 91/390 कि0न0 14 में प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र श्योलाल जाति हरिजन की ढाणी बनी हुई है। प्रार्थी उक्त ढाणी में आने-जाने हेतु इसी प0न0 के कि0न0 11,12,13 में से आवागमन करता आ रहा है एवं वर्तमान में भी कर रहा है। प्रार्थी उक्त कि0न0 11,12,13 में ढाणी में जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है।" उक्त रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा संलग्न किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट से एवं नजरी नक्शा से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की धारित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 9 एसपीडी-बी के प0नं0 92/390(12) के कि0नं0 8 ता 13/1.518 है0, 18 ता 20/0.759 है0 क0/अ0क0, प0नं0 91/390(13) कि0नं0 6-7/0.506 है0, 1 ता 17/1.012 है0 में 1.518 है0 कुल 3.795 है0 क0/अ0क0 तक आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने भी अपनी रिपोर्ट में कोई विपरित टिप्पणी नही की है। अप्रार्थी संख्या 1 ने भी ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है जिससे यह सिद्ध हो सके की प्रार्थीगण के रकबा को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0ए0 स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या-01 की खातेदारी भूमि वाके चक 9 एसपीडी-बी के प0न0 91/390(13) के कि0न0 11 में 0.005 है0 (8.25 फुट गुणा $16^{1/2}$ फुट), 12-13 में 1-1 बिस्वा दक्षिणी पासा में पश्चिमी से पूर्व रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता के बदले में प0न0 91/390 के कि0न0 6 में 0.015 है0 उत्तरी पासा में तथा कि0न0 7 में 0.015 है0 उत्तरी पासा कुल 0.030है0 भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से कलमजन कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरतगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/07/2020..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.07.30 16:55:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: